BORE WELL

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

BORE WELLS

फोन : 91-0522-2258365 फै... ...gmcindia.edu

संख्या: ..../योजना अनु0/2021 दिनांक: 01/01/2021

अति-आवश्यक/महत्वपूर्ण

सेवा में,

निदेशक,
कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम,
टी0सी0-38, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ

विषय:- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्थित रिबोर नलकूपों का निर्माण एवं उच्च जलाशय की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-4603/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-06/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्थित रिबोर नलकूपों का निर्माण एवं उच्च जलाशय की मरम्मत का कार्य आपकी संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में उल्लिखित करना है कि आपकी संस्था के परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, विद्युत/यांत्रिक, नलकूप विंग, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के विभिन्न पत्रों द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्थित 04 नग रिबोर नलकूपों का निर्माण एवं 02 नग उच्च जलाशय की मरम्मत का कराये कराये जाने सम्बन्धी 06 आगणन प्रस्तुत किये गये थे, जिनका के0जी0एम0यू0 अधिशासी अभियंता(वि0/यां0) से परीक्षण कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यदायी संस्था का निर्धारण करने हेतु शासन को प्रेषित किये गये थे। इसी क्रम में ही आपकी संस्था को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, आगणनों का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र0 सं0	स्थल का नाम जहाँ-जहाँ के नलकूपों में कार्य होना है	आगणन की धनराशि (रू0 लाख में)	परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, विद्युत/यांत्रिक, नलकूप विंग, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ का पत्र संख्या व दिनांक
रिबोर योग नलकूपों का विवरण:-			
1	डी0 के0 छात्रावास एवं छात्रा छात्रावास	रू0 89.70 लाख	पत्र संख्या-12/6901/कार्य-58(20)/01 दिनांक 10.01.2020
2	नर्सेज छात्रावास (1905 भवन के पीछे)	रू0 90.07 लाख	पत्र संख्या-13/6901/कार्य-58(20)/02 दिनांक 10.01.2020
3	ट्रामा सेन्टर	रू0 92.89 लाख	पत्र संख्या-14/6901/कार्य-58(20)/03 दिनांक 10.01.2020
4	आर0ए0एल0सी0 परिसर	रू0 85.69 लाख	पत्र संख्या-15/6901/कार्य-58(20)/04 दिनांक 10.01.2020
मरम्मत योग उच्च जलाशय का विवरण:-			
5	कुलसचिव कार्यालय के पीछे	रू0 18.36 लाख	पत्र संख्या-33/6901/कार्य-58(20)/07 दिनांक 18.01.2020
6	बाल विभाग के सामने	रू0 20.88 लाख	पत्र संख्या-32/6901/कार्य-58(20)/06 दिनांक 18.01.2020
	योग	रू0 397.59 लाख	

उक्त के अतिरिक्त यह उल्लिखित करना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा रू0 5.00 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यो के प्रस्तावों/आगणनों का परीक्षण करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया गया है। संदर्भित परियोजना की लागत रू0 5.00 करोड़ के अन्तर्गत होने के कारण उक्त वर्णित आगणनों के परीक्षण हेतु तकनीकी समिति की बैठक किसी भी तिथि को हो सकती है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजना के आगणनों के परीक्षण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी समिति की आगामी होने वाली बैठक की तैयारी हेतु अपनी संस्था के सम्बन्धित इकाई के परियोजना प्रबन्धक (जो उक्त परियोजना का कार्य करेगी) को तैयार रहने के लिए आदेशित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

श्री पवन सिंह JE(M)
01/01/21
EE (Elect)

भवदीय

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन /0647 /योजना अनु0/2021 दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
2. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, विद्युत/यांत्रिक, नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, 2/137, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. श्री पारितोष सिंह, अधिशासी अभियन्ता(विद्युत), विद्युत विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

Registrar
King George Medical University
Lucknow

(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

89

7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

9) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के प्रतिबंधो/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व प्र0वि0 सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का होगा।

11) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यों की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

12) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

13) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

14) प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

15) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर /ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गवर्नमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

17) वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

20) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

21) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

22) प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर संबंधित निदेशक/कुलसचिव /प्रधानाचार्य द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

23) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

88

5/2020/बी-1-196/दस-2020-231 /2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-10/2020/बी-1-564/दस- 2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 35.62 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 08.35 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-133/दस-2021, दिनांक 10/2/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 17 /2021/495(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 (वि/या), नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

संख्या- 18 /2021/ 4-789/71-2-21-के0जी0एम0यू0-06/2020 टी0सी0-3

4:45 pm

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 05 मार्च 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर में रिबोर युक्त नलकूप एवं तत्साम्बन्धित राइजिंग मेंन बिछाने की प्रायोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-10168/योजना अनु0/2020, दिनांक 22.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के डी0के0 छात्रावास एवं छात्रा छात्रावास, नर्सेज छात्रावास, ट्रामा सेन्टर एवं आर0ए0एल0सी0 परिसर में रिबोर नलकूपों का निर्माण/स्थापना एवं कुलसचिव कार्यालय के पीछे तथा बाल विकास के सामने स्थित उच्च जलाशय के मरम्मत कार्य की प्रायोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 22.12.2020 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर में 01 नग रिबोर युक्त नलकूप एवं तत्सम्बन्धित राइजिंग मेंन बिछाने की प्रायोजना हेतु प्रयोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 83.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0 के '24-वृहद निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि से रू0 41.92 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 34.52 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 07.40 लाख) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) प्र0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 29.09.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
4) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य/ योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

9) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

10) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यों की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

11) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

12) प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

13) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर /ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14) प्रश्नगत वितीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

15) प्रश्नागत कार्य की वितीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पैसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

17) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।

18) प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर संबंधित निदेशक/कुलसचिव /प्रधानाचार्य द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से रू0 34.52 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा रू0 07.40 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज

Scanned by CamScanne

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY U.P., LUCKNOW

(87)

कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-157/दस-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 18 /2021/478(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0 (वि/या), नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

SNo	Department/Building/ Hostel Name	Tubewell Boring & Control Panel	Submersible Pump & Control Panel	Monoblock Pump& Control Panel	Department/Building/Hostel Name where Water Supply is provided.
1	Old Dental Building	01 No 10 HP	-	01 No 7.5 HP	Old Dental, Dhanvantri Campus
2	Hospital Pump House	-	-	03 Nos. 7.5 HP	Surgical Ward 1 to 8, Medical Store, Super Deluxe Ward, Public Toilet Cooperative Bank ,Lawn in front of Urology
3	Surgery Pump House	-	-	03 Nos. 7.5 HP	General Surgery, Plastic Surgery, Burn OT, Pediatric Surgery, Anesthesia Dept. Electric Dept. Works Dept. Central Medical Store
4	T.B.H Pump House	-	01 No 1.5 HP	02 No. 7.5 HP	T.V.H Old Block, Chest OPD, Urology Dept. Environment Dept., Rain Basera, T.V.H Dept. Public Toilet
5	Central Store	-	01 No 1.5 HP	-	Central Store, Electric Dept., Works Dept.
6	Environment Dept.	-	01 No 1.5 HP	-	Environment Dept.
7	Pharmacology Dept.	-	01 No 1.5 HP	01 No 7.5 HP	Pharmacology Dept., Old OPD,OPC Police Station, Rain basera, Centre for Advance Research Lab
8	New OPD Building	01 No 15 HP	-	02 No 15 HP	New OPD
9	New Dental Building	01 No 10 HP	-	02 No 7.5 HP	New Dental, Dean Office
10	Old Dental Building	01 No 10 HP	-	01 No 7.5 HP	Old Dental, Dhanvantri Campus
11	Queen Mary	01 No 20 HP 01 No 7.5 HP	-	02 No 7.5 HP	Queen Mary, LRH, Old LRH, RCH, Private Wards, Rain Basera Labor Rooms
12	Samra Meero Bibi	01 No 20 HP	-	-	Meero Baby Guest House and Lady Resident Hostel
13	Mental Departments	-	-	03 No 7.5 HP	Mental Department
14	C.T.V.S Department	01 No 10 HP	-	02 No 7.5 HP	CTVS Dept., Heart LARI OPD, Mental Dept.
15	Geriatric Mental	01 No 10 HP	-	-	Geriatric Mental, Children OPD, Dr Suryakant Bunglow
16	LARI Cardiology Department	01 No 15 HP	01 No 2.0 HP 01 No 2.0 HP	02 No 7.5 HP	LARI Cardiology, LARI OPD
17	Child Department	-	01 No 1.5 HP	02 No 7.5 HP	Child Dept., Cancer Unit
18	Opthalmic Department	-	-	02 No 7.5 HP	Opthalmic Dept., South Ophthalmic Canteen, Office 1 No Gate, MRI, CT scan, Public Toilet, 33kV Substation
19	New Guest House	-	01 No 2.0 HP	01 No 1.5 HP	New Guest House
20	Sardar Patel Hostel	01 No 7.5 HP	01 No 1.5 HP	02 No 7.5 HP	S.P. Hostel, Dr KureelBunglow
21	Resident Hostel	-	-	02 No 7.5 HP	Resident Hostel, Nehru Hostel
22	Nehru Hostel	01 No 7.5 HP	-	-	Resident Hostel, Ground Tank
23	VC Office	01 No 20 HP	01 No 2.0 HP	-	Underground Tank, VC Office, FO Office, Overhead Tanks
24	Physiology Department	-	01 No 2.0 HP	02 No 7.5 HP	Physiology Dept.,SPM Library, VC Residence, Anatomy, Biochemistry Lab Dept.
25	Pathology Departments	-	-	01 No 7.5 HP	Pathology, Microbiology Dept. ICTC Lab
26	Old VL Hostel	-	-	02 No 7.5 HP	Old VL Hostel, Kalam Centre, UG PG Hostel, PHI Building
27	Anatomy Department	-	01 No 1.5 HP	-	Anatomy Dept., VC Lawn
28	D.K. Hostel	01 No 10 HP	01 No 1.5 HP	-	D.K Hostel Lady Hostel
29	New UG Girls Hostel	-	01 No 2.0 HP	-	New UG Girls Hostel
30	New PG Girls Hostel	-	01 No 2.0 HP	-	New PG Girls Hostel
31	Mahamaya Hostel	-	02 No 2.0 HP	-	Mahamaya Hostel, New VL Hostel
32	Old CV Hostel	-	01 No 2.0 HP	02 No 7.5 HP	Old CV, New CV, Servant Quarter, New VL Nurse Hostel, Mahamaya

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

Total Water Consumption per day in KGMU

Sno	Description	Persons	Water Consumption Per Person (L/D)	TotalWater Consumption per day (L)
1	Total Beds in KGMU	4400	200	8,80,000
2	OPD	7000	15	1,05,000
3	Faculty	530*3=1590	135	2,14,650
4	Resident Students	2681	135	3,61,935
4	Non-Resident Students	3000	45	1,35,000
6	Staff/Employees	6000	45	2,70,000
			TOTAL	19,66,585

RESIDENT STUDENTS				
UG PROGRAMMES			PG PROGRAMMES	
MBBS	BDS	BSC Nursing	MD/MS/MCH	MSC Nursing
250*4=1000	56*4=224	126*3=378	343*3=1029	25*2=50
Total=2681				
NON-RESIDENT STUDENTS				
Paramedical Students 1500*2=3000				

Bablu Singh
(बबलू सिंह)
सहायक, अभियन्ता (वि0/यॉ0)
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0
लखनऊ

Parvez
(Prof. Mohd. Parvez Khan)
Core Committee Member
University Environment Department
K.G.M.U. U.P., Lucknow

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow

Jal Bharo Abhiyan Environment Day

Archana
Registrar
King George Medical University
Lucknow